

स्मरण पत्रराजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016/109734-776 जयपुर, दिनांक: 12-8-16

समस्त वाद प्रभारी अधिकारी,
..... ।

विषय:-लाईट्स के प्रारूप F-1 में इन्द्राज करने बाबत।


प्रसंग:-निदेशालय के पूर्व पत्र क्रमांक 96887-929 दिनांक 22.07.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर बेंच से संबंधित न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त अति. महाधिवक्ताओं के मुल्यांकन हेतु प्रारूप F-1 में निम्न तीन अतिरिक्त सूचनाओं को समाविष्ट किया गया है :-

- 1- Date of submission of case for filling by Deptt. to AAG.
- 2- Date of filling case in Court by AAG.
- 3- Whether application under sec.5 of limitation Act. filed.

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं की सूचना का इन्द्राज करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था, लेकिन आपके द्वारा आज दिनांक तक वांछित इन्द्राज नहीं किया है, इसे न्याय विभाग द्वारा गंभीरता से लिया है।


अतः आपको पुनः स्मरण करा कर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त सूचना 7 दिवस में लाईट्स सॉफ्टवेयर पर इन्द्राज व अद्यतन(अपडेट) करने का श्रम करे।


अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016/109777-778 जयपुर, दिनांक: 12-8-16

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर
2. उप निदेशक (एसीपी), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर